न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 13/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/135

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
श्रीमती सुगना देवी पत्नी कानारामजी, जाति घांची, निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली(राज.)		1. पेमाराम पुत्र हीराजी, जाति घांची, निवासी ढाबर, तहसील रोहट, जिला पाली(राज.) 2. ग्राम पंचायत ढाबर जरिये सरपंच, पंचायत समिति, रोहट जिला पाली (राज.)

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 24.05.2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 92/2017 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 को रिव्यू कराने हेतु प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 अप्रार्थी पेमाराम ने एक निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस आशय की श्रीमान के न्यायालय में पेश की कि ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा मिशल संख्या 201/2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.11.2004 व उसकी पालना में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6637 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई थी जिसमें पारित आदेश से प्रार्थीया पूर्णतया व्यथित व पीड़ित है जो पूर्णतया ग्राम पंचायत की मिसल के अभाव में तथा रास्ते की भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होते हुए एवं प्रार्थीया का मकान उसके पश्चिम दिशा के अन्य सड़क के सहारे स्थित पड़ोसी पाबूराम, सायरमल, पदम सुथार व मिश्रीलाल घांची के मकान की बिल्डिंग लाईन के अनुरूप स्थित होने से एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने एवं राजस्व दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये निर्णय दिनांक 25.02.2021 पारित किया जो रिजेन्ट स्पीकिंग निर्णय नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2021 जो न्यायालय द्वारा तथ्य, विधि एवं तात्विक तथ्यों की अज्ञानतावश पारित किया गया जिसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल निगरानी में जैर निगरानी पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा मिशल संख्या 201/2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.11.2004 व उसकी

जिला कलक्टर, पाली

पालना में प्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6637 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त कराने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा प्रार्थीया के दादा ससुर भूराराम के नाम का उसी परिसर का जारी किया हुआ है। एक बार जिस भूमि/मकान का पट्टा जारी किया जाता है उसका दोबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पट्टा मिसल संख्या 3/08.06.1966 कायम कर उसमें पारित जरिये आदेश दिनांक 20.04.1967 को पट्टा जारी किया गया, रेकर्ड पर पट्टा बुक नहीं है मिसल है उक्त पट्टा 2365.5 वर्गफीट का जारी किया गया, जिसके वर्गगज 591.25 है। इसी पर प्रार्थीया का मकान बना हुआ है। जिसके परिसर को तीन तरफ आगे बढ़ाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अतः पश्चातवृत्ति जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थीया सुगना के दादा ससुर के नाम से पहले ही पट्टा जारी कर दिया था, फिर भी एक नया पट्टा सुगना के नाम से जारी कर दिया। जिसमें अप्रार्थी की भूमि भी शामिल कर ली गई। इसलिए सुगना के पट्टे को हस्तगत निगरानी में खारिज किया गया है। अब उस पर आपत्ति कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है जिसमें प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई कथन अथवा तथ्य पेश नहीं किये जिससे कि मूल निगरानी में पारित निर्णय रिव्यू के दायरे में आता हो। अतः निगरानी संख्या 92/2017 में विधिवत सुनवाई की जाकर नियमों के अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। प्रार्थीया के पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र का कोई आधार नही है। अतः प्रार्थीया का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 92/2017 में दिनांक 25.02.2021 को निर्णय पारित किया गया जिसमें पूर्व में इस भूमि से सम्बन्धित पट्टा भूराराम पुत्र शेराजी घांची के नाम पट्टा संख्या 21 जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे को समेकित करते हुए नया पट्टा भूमि को 31 फीट रास्ते में सार्वजनिक चौक की तरफ बढ़ाते हुए नया पट्टा सुगना देवी के नाम जारी किया गया है। तथा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में लोहे की फाटक लगी हुई है। जबकि पक्का निर्माण वर्ष 1996-97 में जारी पट्टा संख्या 21 की भूमि 28 गुणा 30.6 फीट पर ही किया हुआ है। इससे सिद्ध है कि जैर निगरानी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में भूराराम के नाम जारी किया हुआ था। जिस वजह से जैर निगरानी आराजी नुजूल आबादी भूमि नहीं रह जाने से जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है राजस्थान पंचायती राज नियम 140 के विपरीत जारी किये जाने से ab initio void होने से निरस्त योग्य होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार के तथ्य एवं विधि की त्रुटि दृष्टिगोचर नही होने से तथा प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली